

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

जिला कलेक्टर झुंझुनू

इन्द्रेन्द्र सिंह पुत्र शेरसिंह, जाति राजपूत, निवासी वार्ड नं० 7, सनकोट, जिला चमोली (उत्तराखण्ड) हाल निवासी चिडावा।

प्रतिष्ठा शर्मा पुत्री श्री ललित शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी रीको रेल्वे क्रोसिंग के पास, झुंझुनू, तहसील व जिला झुंझुनू।

बनाम

राज० सरकार।

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र विवाह पंजीयन

प्रार्थना पत्र सं. 97 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुकम व तामील में जा हुए
21.10.2020	<p>पत्रावली न्याय अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनू से इस शाखा मे स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली मे डी०एल०आर० की रिपोर्ट दिनांक 20.10.2020 के अनुसार पक्षकारों का विवाह हो चुका है। इसलिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 इस मामले मे लागू नही होगी। यदि पक्षकार अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते है तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 15 के तहत विधिवत् रूप से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उक्तानुसार प्रार्थी को सूचित किये जाने हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली मे अब और कोई कार्यवाही शेष नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखित दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.10.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।</p>	
		<p>जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू</p>